फर्द अहकाम

बनाम गोपाल लाल

नाम न्यायालय मै० हरीकृष्ण

केस संख्या 17/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/2/2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित नहीं। तहसीलदार से फर्जीवाड़ा रिपोर्ट के संबंध में जवाब पेश हुआ शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस तहसीलदार रिपोर्ट बेशक्तियार 22/2/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	22/2/24	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक बार बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादीगण अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते बहस तहसीलदार रिपोर्ट हेतु नियत है। जिस हेतु वादी गत तारीख पेशी पर एवं आज नियत तारीख पर भी अनुपस्थित है। तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार भूमि वादग्रस्त का वादी द्वारा बेचान किया जाकर क्रेता का नाम खाता पूर्व में ही अंकन किया जा चुका है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त क्रेता को ही बेचान किया जा चुका है। जिससे अब वाद का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः वाद वादी अब कारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली पुस्तकालय

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मै० हरीकृष्ण बनाम गोपाललाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 17/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/2/24	शुमार होकर फर्जी नम्बर के एक हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:41:17 IST
Reason: SelfAttested